उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–2
संख्या–टी–51/दो–2–2018
लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2018
<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

तात्कालिक प्रभाव से श्री लवकुश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए उप संचालक चकबन्दी, सुल्तानपुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2– श्री त्रिपाठी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर दिनांक 09.04.2018 तक नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगें तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3– नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को निर्धारित समय मे कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और संबंधित के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
2– जिलाधिकारी, आजमगढ़/सुल्तानपुर।
3– आयुक्त, चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
6– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
7– अनुसचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0शासन।
8– नियुक्ति अनुभाग–7
9– संबंधित अधिकारी।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
6.4.18
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।